संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-3/F-59/2020/ भोपाल,दिनांक / /2020

आदेश

श्री भीमसिंह यादव, ड्रेसर वर्तमान में जिला चिकित्सालय देवास में कार्यरत, तत्कालीन कार्यालय जिला चिकित्सालय उज्जैन में कार्यरत रहते हुये दिनांक 01.01.2013 से 15.04.2014 तक (कुल 470 दिवस) बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे।

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन के पत्र कमांक 5135, उज्जैन दिनांक 21.10.2019 के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण के परीक्षण उपरांत श्री भीमसिंह यादव ड्रेसर की अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि 470 दिवस को उनके अवकाश खाते में शेष अर्जित अवकाश (128 दिवस) को स्वीकृत करते हुये 342 दिवस की अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि को नियम 1977 के नियम 14 के अनुसार दण्डस्वरूप डायजनान (अकार्य दिवस) घोषित किया जाता है। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त कृत्य पुनः किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित.

(डॉ.कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक(अवि)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-3/F-59/2020/ 301'K' भोपाल,दिनांक25 /5/2020
प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सहायक, आयुक्त स्वाथ्य सेवायें स्थानीय कार्यालय।
2. क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।
3. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन/देवास की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश के पालन में तत्काल कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
4. जिला कोषालय अधिकारी जिला उज्जैन/देवास म.प्र.।
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक उज्जैन/देवास म.प्र.।
6. श्री भीमसिंह यादव,ड्रेसर, जिला चिकित्सालय देवास म.प्र.।
7. प्रभारी एम.आई.एस सेल स्थानीय कार्यालय।
8. आदेश नस्ती।

अपर संचालक(अवि)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश